



भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त निकाय)
पो.ओ. न्यू फॉरेस्ट देहरादून – 248 006 (उत्तराखण्ड)

विज्ञापन संख्या. डी.एस.बी./भा.वा.अ.शि.प.-2019

वैज्ञानिक – 'बी' के पदों हेतु भर्ती – 2019

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (भा.वा.अ.शि.प.) भारतीय नागरिकों से वैज्ञानिक 'बी' के पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है।

वैज्ञानिक –'बी' के पदों पर सफल घोषित अभ्यर्थियों को भा.वा.अ.शि.प. की नियमावली/आदेशों के अंतर्गत स्वीकार्य पे-मैट्रिक्स (रु. 56,100-177500) + भत्ता, के स्तर 10 (7वें सी.पी.सी.) पर नियुक्ति हेतु अनुसंधित किया जाएगा।

1. वैज्ञानिक – 'बी' हेतु रिक्तियां : विभिन्न विषयों के अंतर्गत वैज्ञानिक 'बी' की रिक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :-

पदों की अनुमानित संख्या : 54 (सामान्य – 23, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) – 04, अ.पि.व. – 16, अ.जा. – 07 तथा अ.ज.जा. – 04)

क्र.सं.	पद (विषय) कोड सहित	पदों की संख्या						न्यूनतम आवश्यक एवं वांछनीय योग्यता
		कुल	सामान्य	ई. डब्ल्यू. एस.#	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. व.	
समूह-1								
1.	1101 (वानिकी)	13	04	01	03	03	02	आवश्यक योग्यता : i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वानिकी में प्रथम श्रेणी एम.एससी. उपाधि वांछनीय योग्यता : ii) प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. उपाधि
2.	1201(वन जलतत्वज्ञान)	02	02	—	—	—	—	आवश्यक योग्यता : i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जल संसाधन/जल प्रबंधन/जलतत्वज्ञान/मृदा तथा जल अभियांत्रिकी/भू-जलतत्वज्ञान/ भूविज्ञान में प्रथम श्रेणी एम.एससी. उपाधि या कृषि अभियांत्रिकी/सिविल अभियांत्रिकी में प्रथम श्रेणी बी.ई./बी.टेक. उपाधि के साथ जल संसाधन/जलतत्वज्ञान/मृदा एवं जल संरक्षण/भू-जलतत्वज्ञान में विशिष्टीकरण।

								वांछनीय योग्यता : ii) जल संसाधन/जल तत्वज्ञान/मृदा एवं जल संरक्षण अभियांत्रिकी में एम.टेक./पीएच.डी. उपाधि
3.	1301(जैव-प्रौद्योगिकी)	01	01	-	-	-	-	आवश्यक योग्यता : i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जैव-प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी एम.एससी. उपाधि के साथ पादप जैव-प्रौद्योगिकी में विशिष्टीकरण वांछनीय योग्यता : ii) प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. उपाधि
4.	1401(मृदा विज्ञान)	03	01	-	01	-	01	आवश्यक योग्यता : i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में प्रथम श्रेणी एम.एससी. उपाधि के साथ मृदा विज्ञान में विशिष्टीकरण। या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मृदा विज्ञान/मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विज्ञान में प्रथम श्रेणी एम.एससी. उपाधि। वांछनीय योग्यता : प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. उपाधि

समूह-2

1.	1501(वनस्पति विज्ञान)*	09	02	01	02	01	03	आवश्यक योग्यता : i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में प्रथम श्रेणी एम.एससी. उपाधि। वांछनीय योग्यता : प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. उपाधि
2.	1601(रसायन विज्ञान)	06	02	01	-	-	03	आवश्यक योग्यता : i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में प्रथम श्रेणी एम.एससी. उपाधि के साथ कार्बनिक रसायन विज्ञान में विशिष्टीकरण। वांछनीय योग्यता : ii) प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. उपाधि
3.	1701(कीट विज्ञान)	04	02	-	-	-	02	आवश्यक योग्यता : i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में प्रथम श्रेणी एम.एससी. उपाधि के साथ कीट विज्ञान में विशिष्टीकरण। या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान/कृषि कीटविज्ञान में प्रथम श्रेणी एम.एससी. उपाधि। वांछनीय योग्यता : ii) प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. उपाधि

4.	1801(वन अर्थशास्त्र)	02	01	—	—	—	01	<p>आवश्यक योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी एम.एससी. उपाधि। या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वानिकी में प्रथम श्रेणी एम.एससी. उपाधि के साथ वन अर्थशास्त्र में विशिष्टीकरण।</p> <p>वांछनीय योग्यता : प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. उपाधि</p>
समूह-3								
1.	1901(पादप व्याधि विज्ञान)	03	01	—	01	—	01	<p>आवश्यक योग्यता : i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान/वानिकी/कृषि में प्रथम श्रेणी एम.एससी. उपाधि के साथ पादप व्याधि विज्ञान/सूक्ष्मजैविकी में विशिष्टीकरण। या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पादप व्याधि विज्ञान/सूक्ष्मजैविकी में प्रथम श्रेणी एम.एससी. उपाधि।</p> <p>वांछनीय योग्यता : प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. उपाधि</p>
2.	2001(काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	04	02	01	—	—	01	<p>आवश्यक योग्यता : i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/भौतिकी में प्रथम श्रेणी एम.एससी. उपाधि।</p> <p>वांछनीय योग्यता : प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. उपाधि</p>
3.	2101(समुद्री संप्राण संसाधन/समुद्र जैविकी)	01	01	—	—	—	—	<p>आवश्यक योग्यता : i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समुद्र जैविकी/समुद्र सूक्ष्म-जैविकी/सूक्ष्म-जैविकी में प्रथम श्रेणी एम.एससी. उपाधि।</p> <p>वांछनीय योग्यता : प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. उपाधि</p>
4.	2201(पारिस्थितिकी)	03	01	—	—	—	02	<p>आवश्यक योग्यता : i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान/वानिकी/पर्यावरण विज्ञान/पारिस्थितिकी में प्रथम श्रेणी एम.एससी. उपाधि के साथ वन पारिस्थितिकी/पारिस्थितिकी में विशिष्टीकरण। या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राकृतिक विज्ञान/जैविक विज्ञान/पर्यावरण प्रबंधन में प्रथम श्रेणी एम.एससी. उपाधि के साथ वन</p>

								पारिस्थितिकी / पारिस्थितिकी में विशिष्टीकरण वांछनीय योग्यता : प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. उपाधि
5.	2301(वन आनुवंशिकी)	02	02	—	—	—	—	आवश्यक योग्यता : i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आनुवंशिकी तथा पादप प्रजनन/ पादप आनुवंशिकी में प्रथम श्रेणी एम.एससी. उपाधि। या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वानिकी / वनस्पतिविज्ञान / कृषि में प्रथम श्रेणी एम.एससी. उपाधि के साथ वन आनुवंशिकी / वृक्ष सुधार में विशिष्टीकरण। वांछनीय योग्यता : प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. उपाधि
6.	2401(बीज प्रौद्योगिकी)	01	01	—	—	—	—	आवश्यक योग्यता : i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान / कृषि विज्ञान में प्रथम श्रेणी एम. एससी. उपाधि के साथ बीज प्रौद्योगिकी में विशिष्टीकरण। या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मृदा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी एम.एससी. उपाधि। वांछनीय योग्यता : प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. उपाधि

* आर्थोपेडिक रूप से दिव्यांग (ओ.एच.) श्रेणी के अंतर्गत वैज्ञानिक 'बी' (वनस्पति विज्ञान) का एक पद दिव्यांगजन (PwD) हेतु आरक्षित/चिन्हित है।

ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अस्थायी हैं और भारत सरकार के निर्देशों और किसी भी विधिक मामले के परिणामके अधीन हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति अनंतिम होगी और उचित चैनलों के माध्यम से सत्यापित की जा रही आय और संपत्ति प्रमाणपत्र के अधीन है और यदि सत्यापन से पता चलता है कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित दावा फर्जी है / गलत है तो सेवाओं को बिना किसी कारण बताए और बिना किसी पूर्वाग्रह के समाप्त कर दिया जाएगा। नकली / झूठे प्रमाण पत्र के उत्पादन के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है। निर्धारित प्रारूप में उल्लिखित किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

यदि अर्हक डिग्री (M.sc./BE/B.Tech इत्यादि) के मामले में, परसेंटेज सिस्टम के बजाय ग्रेड प्वाइंट एवरेज (GPA) प्रणाली है, तो शैक्षिक संस्थान द्वारा वांछित योग्यता की "प्रथम श्रेणी की डिग्री" के समकक्ष होने के विषय में सुनिश्चित करने से सम्बंधित प्रमाणित रूपांतरण प्रणाली को प्रस्तुत करना होगा।

अभ्यार्थी प्रत्येक समूह से मात्र एक पद (विषय) हेतु आवेदन कर सकते हैं (तीन पद अधिकतम)। एक ही समूह के एक पद (विषय) से अधिक पद पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. बिना कोई कारण निर्दिष्ट कर पदों में वृद्धि या कमी या किसी भी पद या सभी पदों को नहीं भरने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

"विशिष्टीकरण से आशय है कि अभ्यर्थी के पास विशिष्टीकरण में उपाधि या विशिष्टीकरण के वर्ग में विशेष पेपर/वैकल्पिक पेपर/शोध पत्र होना आवश्यक है।

2. लिखित परीक्षा हेतु केन्द्र

अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के क्रम में दो (02) केन्द्रों का चयन करना आवश्यक है। परिषद्, अभ्यर्थी के प्राथमिकता केन्द्रों के अन्यत्र परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। परीक्षा केन्द्र के आवंटन पश्चात, किन्हीं भी परिस्थितियों में परीक्षा केन्द्र के परिवर्तन हेतु निवेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को आवंटित केन्द्र पर ही उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु यात्रा तथा ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

लिखित परीक्षा निम्नलिखित 10 केन्द्रों में आयोजित होगी :-

परीक्षा का केन्द्र	केन्द्र कोड संख्या
बेंगलुरु (कर्नाटक)	01
कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	02
देहरादून (उत्तराखण्ड)	03
गुवाहाटी (असम)	04
हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	05
जबलपुर (मध्य प्रदेश)	06
जोधपुर (राजस्थान)	07
जोरहाट (असम)	08
रांची (झारखंड)	09
शिमला (हिमाचल प्रदेश)	10

अध्यक्ष, भर्ती बोर्ड, भा.वा.अ.शि.प. के पास किसी परीक्षा केन्द्र को बिना कोई कारण बताए रद्द/परिवर्तित करने का अधिकार होगा।

3. आयु सीमा

आवेदन की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण की होनी चाहिए लेकिन 35 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विभागीय (भा.वा.अ.शि.प. के) अभ्यर्थियों हेतु ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./दिव्यांग श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त विहित प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतिकरण पर भारत सरकार के नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट है।

चिन्हित (*) अंकित विषय में दिव्यांग (OH/PH) हेतु ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट है।

4. आवेदन शुल्क

देय आवेदन शुल्क का विवरण

क्र.सं.	अभ्यर्थी की श्रेणी	परीक्षा शुल्क
1.	अनारक्षित (यू.आर.) / ई.डब्ल्यू.एस.	रु. 1500 / -
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.)	रु. 1500 / -
3.	अनुसूचित जाति (अ.जा.) / अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) / दिव्यांग / महिला	कुछ नहीं

अ.पि.व. अभ्यर्थी जिनकी जाति केन्द्रीय सूची (राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग की वेबसाइट www.ncbc.nic.in में यथावत उपलब्ध) में सूचीबद्ध नहीं है तथा जो अ.पि.व. – नॉन क्रीमी लेयर (एन.सी.एल.) के प्रावधानों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं, उन्हें सभी प्रयोजनों हेतु सामान्य श्रेणी अभ्यर्थियों की तरह माना जाएगा। तदनुसार, अ.पि.व. नॉन-क्रीमी लेयर से गैर-संबद्ध अ.पि.व. अभ्यर्थी अपनी श्रेणी 'सामान्य' इंगित करेंगे। डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग भुगतान हेतु लेन-देन शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, अभ्यर्थी को वहन करनी होगी।

शुल्क का भुगतान वेबसाइट <http://recruitment.icfre.gov.in> पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के माध्यम से ही किया जाएगा। ऑनलाइन भुगतान किसी भी डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग से किया जा सकता है। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थितियों के अंतर्गत वापस/पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता।

5. राष्ट्रीयता

केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन के लिए पात्र हैं।

6. परीक्षा की योजना

परीक्षा की निम्नलिखित योजनानुसार एक प्रतिस्पर्धात्मक लिखित परीक्षा के बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा :-

- I. एक विशिष्ट समूह के अंतर्गत सभी विषयों की लिखित परीक्षा एक साथ संचालित की जाएगी। प्रश्नपत्र (द्विभाषी-अंग्रेजी तथा हिन्दी) में प्रासंगिक विषय से अधिकतम 400 अंकों के निम्नानुसार कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे :-

प्रश्न पत्र का विवरण	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समयावधि
प्रासंगिक विषय पर प्रश्न	100	400	02:00 घंटे

लिखित परीक्षा में आवश्यक न्यूनतम अर्हक अंक :-

अभ्यर्थी की श्रेणी	न्यूनतम अर्हक अंक
सामान्य/ई.डब्ल्यू.एस.	50%
अ.पि.व.	45%
अ.जा./अ.ज.जा./दिव्यांगजन	40%

लिखित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर हेतु चार अंक प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर हेतु एक अंक काटा जाएगा।

लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार की तिथि व समय : वेबसाइट पर बाद में सूचित की जाएगी।

विभिन्न विषयों हेतु पाठ्यक्रम वेबपोर्टल में दिए गए लिंक पर मौजूद है।

अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर बुलाया जाएगा। लघु-सूची बनाने में परिषद् का निर्णय अंतिम होगा तथा इस संबंध में परिषद् कोई भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगी।

II. व्यक्तिगत साक्षात्कार :- 70 अंक

साक्षात्कार का स्थान :- भा.वा.अ.शि.प. (मुख्यालय), पी.ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड
व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों के पास हिन्दी या अंग्रेजी में संवाद करने की स्वतंत्रता होगी।

7. परीक्षा प्रक्रिया

- i) न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, प्रत्येक पद पर 1:5 (एक रिक्ति पर पाँच अभ्यर्थी) के आधार पर अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु बुलाया

जाएगा। अंतिम मेरिट कुल अंको के आधार पर निश्चित की जाएगी, अर्थात : लिखित परीक्षा तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्राप्तांक।

ii) व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु लघु-सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय सत्यापन हेतु अपने आयु प्रमाण, जाति, शैक्षिक योग्यताएं, दिव्यांग प्रमाणपत्रों की मूल एवं स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रतियां लानी होंगी। यदि, प्रमाणपत्र स्थानीय मातृभाषा में है, तब इसके अंग्रेजी अनुवाद को नोटरी/राजपत्रित अधिकारी से विधिवत रूप से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा। सभी अर्हता प्रमाणपत्रों (ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र के अलावा) को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत हाने चाहिए।

iii) टाई ब्रेकर हेतु नियम

जहाँ कहीं भी दो या अधिक अभ्यर्थियों ने समान सकल अंक (लिखित परीक्षा + व्यक्तिगत साक्षात्कार में अंक) प्राप्त किए हों, अभ्यर्थियों की मेरिट निम्नलिखित टाई ब्रेकर नियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी :-

क) लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उच्च वरीयता दी जाएगी।

ख) यदि उपर्युक्त (क) में उल्लिखित प्राप्तांक समान है, वयस्क अभ्यर्थी को उच्च वरीयता दी जाएगी।

iv) सामान्य निर्देश

क) प्रश्न पत्र द्विभाषी होगा।

ख) किन्हीं भी परिस्थितियों में परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को लिखनेवाले की सहायता की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।

ग) उत्तर पुस्तिका के पुनः मूल्यांकन हेतु कोई भी प्रावधान नहीं है, अतः उत्तर पुस्तिका के पुनः मूल्यांकन हेतु कोई निवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। परिषद् इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगी।

घ) लिखित परीक्षा के दौरान, अभ्यर्थियों को मूल फोटो आई.डी. जैसे पैन कार्ड, वोटर आई.डी., आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, छायाचित्र के साथ बैंक पासबुक/मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत वैध नवीन पहचान पत्र/कर्मचारी आई.डी. लाना आवश्यक है तथा एक फोटो (जिसे उन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया है) को प्रवेश पत्र में इस उद्देश्य हेतु उपलब्ध स्थान पर चिपकाया जाना चाहिए।

च) लिखित परीक्षा के दौरान मोबाइल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के परीक्षा हॉल में लाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में किसी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के साथ पाया जाता है, तो उसका अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा।

छ) परीक्षा हॉल में किसी भी अनुचित पद्धति या किसी भी माध्यम से नकल करते हुए पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा।

8. तैनाती के स्थान

उपर्युक्त विषयों के पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती, परिषद् के देहरादून, जबलपुर, जोधपुर, कोयम्बटूर, बंगलुरु, जोरहाट, शिमला, रांची, हैदराबाद, प्रयागराज, छिंदवाड़ा, आइजॉल, और विशाखापतनम स्थित संस्थानों/केंद्रों में की जाएगी। हालांकि सभी पदों पर भा.वा.अ.शि.प. के भारत में स्थित किसी भी संस्थान/केंद्र में सेवा देने का दायित्व है।

9. आवेदन कैसे करें

(ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।)

- (i) ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित संबंधित विवरण/सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:
 - a. वैज्ञानिक 'बी' 2019 हेतु अधिसूचना
 - b. नाम (जैसा माध्यमिक स्तर के परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज हो)
 - c. पिता का नाम (जैसा माध्यमिक स्तर के परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज हो)
 - d. पत्राचार हेतु संपूर्ण पता
 - e. संपूर्ण स्थाई पता
 - f. मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाणपत्र
 - g. अर्हक डिग्री-स्नातकोत्तर उपाधि/बी.ई./बी.टैक.प्रमाणपत्र/अनंतिम उपाधि प्रमाणपत्र/प्रतिलिपि/अंकपत्र ।
 - h. विशेषज्ञता के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र/अंकपत्र, जहां उपयुक्त हो।
 - i. जी पी ए को परसंटेज में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र, जहां उपयुक्त हो।
 - j. डॉक्टरेट उपाधि प्रमाणपत्र/अनंतिम उपाधि प्रमाणपत्र/प्रतिलिपि/अंकपत्र यदि उपलब्ध हो।
 - k. केंद्र के विकल्प का चुनाव (कृपया इस अधिसूचना में परीक्षा केंद्र एवं कोड देखें)
 - l. हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो की स्कैन प्रतिलिपि (डिजिटल फाइल जेपीइजी या पीएनजी प्रारूप में 20-50 किलोबाइट की होनी चाहिए।)
 - m. केवल सफेद कागज पर नीली या काली स्याही से किए हुए हस्ताक्षर की स्कैन प्रतिलिपि (डिजिटल फाइल जेपीइजी या पीएनजी प्रारूप में 10-50 किलोबाइट की होनी चाहिए।)
 - n. आयु प्रमाण से संबंधित प्रमाणपत्रों की स्कैन प्रतिलिपियां (10वीं के समकक्ष अंकपत्र), जाति, शैक्षिक योग्यता (स्नातकोत्तर अंकपत्र), विशेषज्ञता से संबंधित प्रमाणपत्र, शारीरिक विकलांगता प्रमाणपत्र इत्यादि। (डिजिटल फाइल जेपीइजी या पीएनजी प्रारूप में 20-100 किलोबाइट की होनी चाहिए।)
 - o. यदि सरकारी कर्मचारी हैं तो वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र की स्कैन प्रतिलिपि। (डिजिटल फाइल जेपीइजी या पीएनजी प्रारूप में 20-100 किलोबाइट की होनी चाहिए।)
 - p. यदि भा.वा.अ.शि.प. कर्मचारी हैं तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आधिकारिक शीर्षपत्र पर सेवा अनुभव प्रमाणपत्र (जिसमें नाम, वर्तमान पदनाम/पद, 7वें सीपीसी के अनुसार वर्तमान वेतनमान, वर्तमान अवस्थिति/कार्यालय का पता इत्यादि)। (डिजिटल फाइल जेपीइजी या पीएनजी प्रारूप में 20-100 किलोबाइट की होनी चाहिए।)
 - q. शुल्क के ऑनलाइन भुगतान हेतु डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग विवरण
 - r. वैध एवं सक्रिय ई-मेल आईडी
- ii. अभ्यर्थी जो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा (प्रत्येक समूह से केवल एक पद)।
- iii. ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण भरते समय अभ्यर्थी को सभी आवश्यक विवरणों को प्रदान करना चाहिए। 'अनिवार्य फ़िल्ड' (तारांकन) चिह्न के साथ चिह्नित हैं।
- iv. अपलोड की गई तस्वीर, नमूना हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेजों को स्पष्ट रूप से पहचान योग्य /दृश्यमान होना चाहिए अन्यथा अभ्यर्थी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी के किसी भी अभिवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

- v. ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र ऑनलाइन जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में उन्हें सलाह दी जाती है कि आईसीएफआरई द्वारा मांगे जाने पर ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने हेतु तैयार रखें।
- vi. ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण के अंत में, अभ्यर्थी को उसके द्वारा दी गई जानकारी/विवरण की पुष्टि/संपादन के लिए विकल्प (संशोधन के लिए, यदि कोई हो) दिया जाएगा। आवेदन शुल्क के भुगतान के बाद/अन्तिम रूप से जमा करने के उपरान्त, अभ्यर्थी भरे हुए/जमा किए गए फॉर्म में कोई बदलाव नहीं कर सकेगा।
- vii. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपने ऑनलाइन आवेदन के सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद, वे अपने आवेदन पत्र की पंजीकरण संख्या और प्रिंट-आउट को अपने पास सुरक्षित रखें, जिसे बाद में, जब और जैसा कहा जाए, उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
- viii. अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र की जानकारी वेबसाइट <http://recruitment.icfre.gov.in> पर उचित समय पर उपलब्ध होगी।
- ix. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म (प्रारूप) द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) होगा, लेकिन इस ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए प्रविष्टियां केवल अंग्रेजी भाषा में स्वीकार की जाएंगी।
- x. सभी अभ्यर्थी, चाहे वे सरकारी सेवा में हों या सरकारी स्वामित्व वाले संगठनों में, उन्हें भी अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी को अपने वर्तमान नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (एनओसी) की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी।
- xi. यदि एक अभ्यर्थी से एक ही पद के लिए कई आवेदन प्राप्त होते हैं, तो अन्य आवेदनों के लिए प्राप्त किसी भी आवेदन शुल्क को वापस करने/समायोजित करने के बिना, पहले प्राप्त सभी आवेदनों को अनदेखा करते हुए नवीनतम आवेदन पर विचार किया जाएगा।
- xii. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि संशोधन करने के प्रावधान कई चरणों में हैं। एक बार आवेदन पत्र में जानकारी भरने, फोटो, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेजों को अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, अभ्यर्थी अपलोड किए गए फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेजों के साथ पूरे आवेदन पत्र को देख सकता है और इस बिंदु पर भी आवेदन पत्र के किसी भी भाग में किसी भी बदलाव/संशोधन को शामिल करने के लिए इसे संपादित कर सकता है। हालाँकि, भुगतान प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद या अन्तिम रूप से आवेदन जमा करने के बाद आवेदन पत्र में कोई संशोधन /संपादन करने की संभावना नहीं है।
- xiii. अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म में अपनी वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी दर्ज करना आवश्यक है क्योंकि इस परीक्षा के लिए सभी संचार/सूचना/अद्यतन केवल इस ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे। यदि उनके पास ई-मेल आईडी नहीं है, तो वे अपनी पसंद के किसी भी ई-मेल सेवा प्रदाता से एक ई-मेल प्राप्त कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि आवेदन पत्र में निर्धारित जगह में ई-मेल आईडी का लिखा जाना अनिवार्य / बाध्यकारी है। यदि कोई अभ्यर्थी, किसी भी कारण से, किसी अन्य फॉर्म को भरना चाहता है, तो उसे किसी अन्य ई-मेल आईडी का उपयोग करना होगा, क्योंकि हमारे डेटाबेस में एक बार पंजीकृत ई-मेल आईडी का उपयोग उसी समूह में नाम, जन्म तिथि, आदि, क्षेत्र समान होने के बावजूद कोई अन्य फॉर्म भरने के लिए नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपडेट के लिए अपने ई-मेल/इनबॉक्स/स्पैम/जंक की जांच करें।
- xiv. आवेदन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवेदन शुल्क के लिए भुगतान के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी रखें। आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए कृपया अपने डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के ब्योरे को भुगतान के उपयोग लिए तैयार रखें।
- xv. केवल आवेदन पत्र का सफलतापूर्वक जमा होना और/या प्रवेश पत्र जारी होना ही परीक्षा में प्रवेश सुनिश्चित नहीं करता। यदि बाद के किसी भी चरण में सत्यापन पर, यह पाया जाता

- है कि अभ्यर्थी पात्रता शर्त (शर्तों) को पूरा नहीं करता है या असत्य/गलत/भ्रामक/निराधार जानकारी दी है, तो उसका अभ्यर्थन रद्द/अस्वीकार कर दिया जाएगा और परिषद् द्वारा उचित समझी गई किसी भी अन्य कार्रवाई सहित, शुल्क का भुगतान जब्त कर लिया जाएगा।
- xvi. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन की एक प्रिंट/सॉफ्ट कॉपी लें और इसे भविष्य के संदर्भों के लिए सुरक्षित रखें।
- xvii. ऑनलाइन आवेदन आदि से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, अभ्यर्थी हेल्पडेस्क पर अपनी राय दर्ज कर सकते हैं।
- xviii. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सामान्य निर्देश भी ध्यान से पढ़ें।

10. सामान्य निर्देश

- (i) ऑनलाइन आवेदन केवल वेबसाइट <http://recruitment.icfre.gov.in> पर जमा किया जा सकता है। विस्तृत निर्देश इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को किसी भी प्रविष्टि या चयन करने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों द्वारा सभी आवश्यक विवरणों को भरा जाना चाहिए। अनिवार्य फ़ील्ड'*' (तारांकन) चिह्न के साथ चिह्नित हैं।
- (ii) आवेदन केवल वेबसाइट <http://recruitment.icfre.gov.in> के माध्यम से दिनांक 01-04-2019, प्रातः 10 बज से 15-05-2019 सांय 05 बज तक ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (iii) अभ्यर्थी जो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा (प्रत्येक समूह से केवल एक पद)।
- (iv) किसी भी सूचना को किसी भी स्तर पर गलत या असत्य पाए जाने की स्थिति में, या संबंधित विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने पर, अभ्यर्थन/नियुक्ति को रद्द/समाप्त कर दिया जाएगा।
- (v) आवेदन जमा करने के बाद अभ्यर्थन वापस लेने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vi) प्रवेश पत्र, लिखित परीक्षा की तारीख से 30 दिन पहले वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और परीक्षा की तारीख से पहले अभ्यर्थी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया अद्यतन जानकारी हेतु नियमित रूप से वेबसाइट देखें।
- (vii) अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी।
- (viii) अ.जा./अ.ज.जा./दिव्यांग/महिला अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
- (ix) रुपये 1500/- का एक गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क सामान्य, ई.डब्ल्यू. एस. और अ.पि.व. श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा जमा किया जाना है। यह शुल्क केवल ऑनलाइन भुगतान करना है। आवेदन शुल्क के भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार्य नहीं है।
- (x) पदों की प्रकृति अस्थायी है लेकिन आगे भी जारी रहने की संभावना है।
- (xi) महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. बिना कोई कारण बताए पदों की संख्या बढ़ाने या घटाने तथा किसी भी या सभी विज्ञापित पदों को भरने या न भरने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- (xii) ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रस्तुत विवरणों के आधार पर श्रेणियों यानी अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रणाली द्वारा स्वचालित रूप से आयु में छूट प्रदान की जाती है। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट, ओबीसी (गैर क्रीमी लेयर) अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी। आयु गणना के लिए निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।

- (xiii) यदि अभ्यर्थी भा.वा.अ.शि.प. स्थायी कर्मचारी श्रेणी के रूप में आयु में छूट का दावा कर रहा है, तो उसे संबंधित सेवा अनुभव प्रमाण पत्र (नाम, वर्तमान पदनाम/पद का उल्लेख, 7वें सीपीसी के अनुसार वर्तमान वेतनमान, वर्तमान कार्यस्थल/कार्यालय का पता, नियुक्ति की तिथि, नियुक्ति के बाद की गई सेवा अवधि इत्यादि) ऑनलाइन आवेदन पत्र में सक्षम प्राधिकारी से आधिकारिक शीर्षपत्र पर संलग्न करना अनिवार्य है।
- (xiv) कोई भी कानूनी विवाद उत्तराखंड राज्य में सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।
- (xv) केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करने के पात्र हैं।
- (xvi) केवल वही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे, जिनके आवेदन पत्र, उनकी फोटो, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेजों, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए, की आवश्यक जांच के बाद उपयुक्त पाए जाएंगे। जिन आवेदकों के आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे, उनकी सूची वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख किया जाएगा।
- (xvii) इस विज्ञापन के जवाब में नियत तारीख के भीतर प्राप्त आवेदनों पर ही एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा लघु-सूचीकरण का विचार किया जाएगा और केवल स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुसंशित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा।
- (xviii) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से जमा किए जाने के बाद किसी भी डेटा में परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (xix) अनुवाद की अस्पष्टता, यदि कोई हो, को अंग्रेजी संस्करण से सुलझाया जा सकता है।
- (xx) केवल इस तथ्य कि किसी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा और/या साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, को उसके/उसकी अभ्यर्थिता को अंततः भा.वा.अ.शि.प. द्वारा मंजूरी दिया जाना नहीं समझा जाना चाहिए। अभ्यर्थी को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि लिखित परीक्षा और/या साक्षात्कार से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर उसकी अयोग्यता का पता लगता है या यदि विज्ञापन में दिए गए नियम और निर्देशों में निर्धारित शर्तों या किसी अन्य अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेजों को किसी भी चरण में मांगा जाता है, का उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालन नहीं किया जाता है, तो यह उसकी अभ्यर्थन रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा। भा.वा.अ.शि.प. इस आधार पर अभ्यर्थन को रद्द करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- (xxi) यदि आरक्षित श्रेणी के किसी अभ्यर्थी ने आयु में कोई छूट नहीं ली है और लिखित परीक्षा में अर्हक अंकों में कोई छूट नहीं ली है तो योग्यता के आधार पर, आरक्षित श्रेणियों यानी अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ई.डब्ल्यू.एस. के अभ्यर्थी भी अनारक्षित रिक्तियों के लिए विचार किये जाने के पात्र हैं। यदि आयु में कोई रियायत और योग्यता मानक में किसी भी छूट का लाभ उठाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी केवल उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए ही विचार के लिए पात्र होंगे।
- (xxii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांग के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नियमों/सूचना में निर्धारित पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण/छूट के हकदार हैं।
- (xxiii) अगर, आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.)/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांग के बारे में अभ्यर्थियों के दावे को गलत पाया जाता है, यह उन्हें परिषद्/भा.वा.अ.शि.प. द्वारा अयोग्य घोषित करने के लिए उत्तरदायी बना सकता है और उनका अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा।
- (xxiv) अभ्यर्थी के नाम या पिता के नाम में किसी भी विसंगति (वर्तनी या उपनाम इत्यादि) के मामले में, अभ्यर्थी को विसंगति का संकेत तथा सही नाम प्रमाणित करने वाले एक मूल शपथपत्र को प्रस्तुत करने के साथ-साथ जमा करते वक्त अन्य सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।
- (xxv) एक अभ्यर्थी को अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में होना चाहिए और सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा करने की संभावना वाले किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो भा.वा.अ.शि.प. चिकित्सकीय परीक्षण हेतु कह सकता है।

(xxvi) कोई भी व्यक्ति:-

- a) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया हो जिसका जीवनसाथी अभी जीवित हो
- b) वह, जिसका जीवनसाथी जीवित है, और जिसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद्, अगर संतुष्ट हो कि इस तरह का विवाह, ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमन्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दे सकती है।

(xxvii) किसी भी अभ्यर्थी हेतु परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्यता या अन्य रूप से पात्रता के संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

(xxviii) अभ्यर्थी की ओर से उसकी अभ्यर्थन के लिए समर्थन प्राप्त करने का किसी भी माध्यम से कोई भी प्रयास उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।

(xxix) कोई अभ्यर्थी जो बोर्ड द्वारा प्रतिरूपण का या गढ़े गए या जाली दस्तावेजों को प्रस्तुत करने, या गलत या असत्य बयान करने, या दमनकारी सामग्री की जानकारी के साथ या अन्यथा परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी भी अन्य अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेने, या परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों या दुर्व्यवहार या कदाचार का उपयोग करने का दोषी पाया गया हो/पाया जाता है, संबंधित परीक्षा से अयोग्य घोषित करने के अलावा स्वयं को आपराधिक मुकदमे के लिए उत्तरदायी घोषित किया जा सकता है:

- a) स्थायी रूप से या एक विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जा सकता है:
 - बोर्ड द्वारा, किसी भी परीक्षा में प्रवेश से या अभ्यर्थियों के चयन के लिए बोर्ड द्वारा आयोजित किसी साक्षात्कार में उपस्थिति से।
 - भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् द्वारा उनके अधीन रोजगार से
- b) यदि वह सरकार/भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उपयुक्त नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

11. महत्वपूर्ण टिप्पणी

- ऑनलाइन आवेदन जमा करने का लिंक <http://recruitment.icfre.gov.in> पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट में आयु सीमा, आरक्षण, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम, शैक्षिक योग्यता, दिशानिर्देश सहित विवरण उपलब्ध हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही किया जाएगा।
- ऑनलाइन आवेदन केवल वेबसाइट <http://recruitment.icfre.gov.in> के माध्यम से दिनांक 01-04-2019, प्रातः 10 बजे से 15-05-2019 सांय 05 बजे तक उपलब्ध रहेंगे।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट <http://recruitment.icfre.gov.in> को नियमित रूप से देखते रहें। परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएं वेबसाइट पर ही अपलोड/अद्यतन की जाएंगी।
